

EXTRAORDINARY भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4 प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 331]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 20, 2010/अग्रहायण 29, 1932

No. 3311

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 20, 2010/AGRAHAYANA 29, 1932

## कर्मचारी राज्य बीमा निगम

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 2010

फा. सं. ए-12( 11 )/11/डी/2010-चि.4.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उपं-धारा (2क), के साथ पठित उक्त धारा की उप-धारा (1) और धारा 17 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा जहाँ तक वे दंत्य सर्जन के पद/संवर्ग से संबंधित है, के सभी पूर्व भर्ती विनियमों के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई अथवा किए जाने से रह गई बातों के अलावा, निगम एतद्द्वारा दंत्य संवर्ग/पद की भर्ती प्रक्रिया को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :
  - (i) ये विनियम कर्मचारी राज्य बीमा निगम (दंत्य संवर्ग पद) भर्ती विनियम, 2010 कहे जाएंगे।
  - (ii) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- 2. अनुप्रयोग :
- ये विनियम इसके साथ संलग्न अनुसूची के कालम 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर लागु होंगे ।
- 3. पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतनमान :

उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे सम्बद्ध वेतनमान इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में यथा-विनिर्दिष्ट होंगे।

(1)

भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं तथा अन्य मामले आदि :

भर्ती की पद्धति, आय सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य मामले उक्त अनसची के कालम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे ।

- 5. जिन पदों के संबंध में सीधी भर्ती विहित की गई है उनके संबंध में चयन बोर्ड का गठन, चयन की प्रक्रिया आदि :
  - (1) चयन बोर्ड:
    - (i) चयन बोर्ड में निम्नलिखित शामिल होंगे :--
      - (क) भारत सरकार के सचिव या अपर सचिव स्तर का अंशकालिक अध्यक्ष जिसे सचिव या महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा अध्यक्ष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सुस्पष्ट पूर्व-अनुमोदन से नियुक्त किया जाएगा ।

4812 GI/2010

- : (ख) जिस विधा/विशेषज्ञ क्षेत्र के संबंध में भर्ती की जानी है उससे संबंधित दो चिकित्सा विशेषज्ञ जिन्हें महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा इस प्रयोजन के लिए अनुरक्षित विशेषज्ञों के पैनल में से, चयन बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा चुना जाएगा ।
- (ग) तर्इ दिल्ली में चिकित्सा आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम विभागीय प्रतिनिधि होगा तथा अन्य राज्यों के मामलों में संबंधित राज्य का वरिष्ठ राज्याचिकित्सा आयुक्त अथवा राज्य चिकित्सा आयुक्त विभागीय प्रतिनिधि होगा। इन अधिकारियों के किसी कारणवश उपलब्ध न होने की स्थिति में महानिदेशक विभागीय प्रतिनिधि के रूप में किसी अन्य अधिकारी को नामित कर सकता है।
- (ii) अंशकांलिक अध्यक्ष की पदावधि सामान्यतः चयन बोर्ड के गठन की तारीख से एक वर्ष के लिए होगी । परन्तु, अध्यक्ष, कर्मचारी राज्यव्वीमा के सुस्पष्ट पूर्व-अनुमोदन से महानिदेशक द्वारा उनकी पदावधि कम की जा सकती है अथवा बढ़ाई जा सकती है।
- (iii) अंशकालिक अध्यक्ष और चिकित्सा विशेषज्ञ, समय-समय पर महानिदेशक द्वारा सरकार द्वारा विहित दरों को ध्यान में रखते हुए तियत दरों पर यात्रा भत्ता, बैठक शुल्क आदि के हकदार होंगे ।
- (2) चयन की प्रक्रिया तथा रीति :
  - (क) देत्य सर्जन के पदों पर सीधी भर्ती सामान्यतः राज्य स्तर पर लिखित परीक्षा के आधार पर सफल और पात्र उम्मीदवारों के साक्षात्कार के आधार पर की जाएगी।
    - यदि भर्ती हेतु भिन्न तरीका अंगीकृत करना आवश्यक हो जाता है तो अध्यक्ष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम का सुस्पष्ट पूर्व-अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् महानिदेशक द्वारा इसे अंगीकृत किया जा सकेगा। तथापि, भर्ती की रीति विज्ञापन में अधिसूचित कर दी जाने के पश्चात् कोई अनुवर्ती परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
  - (ख) साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या का निर्णय अध्यक्ष, चयन बोर्ड द्वारा रिक्तियों की संख्या और विहित अपेक्षाओं को पूरा करने वाले आवेदकों की संख्या को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।
  - (ग) आयु, अर्हता, अनुभव आदि की विहित अपेक्षाएं पूरा करने मात्र से ही आवेदक को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किए जाने अथवा विज्ञापित पद पर किसी प्रकार के दावे का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाएगा।
  - (घ) आवेदनों के संबंध में विज्ञापन जारी करने तथा अध्यक्ष, चयन बोर्ड को प्रस्तुत करने के लिए आवेदनों के प्रक्रमण संबंधी समस्त कार्य महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कार्यालय द्वारा किया जाएगा।
  - (ङ) चयन बोर्ड को आवश्यक सचिवीय सहायता, महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी ।

### 6. निरर्हताः

ऐसा कोई व्यक्ति :---

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने का करार किया है जिसका विवाहिती जीवित है; अथवा
- (ख) जिसने अपने विवाहिती के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने का इकरार किया है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि महानिदेशक इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह की दूसरी पार्टी पर लागू वैयक्तिक कानून के अन्तर्गत अनुमेय हैं और ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं तो वे किसी व्यक्ति को इस विनियम से छूट दे सकते हैं।

## 7. ढील देने की शक्ति:

जहाँ निगम के महानिदेशक की राय में ऐसा करना आवश्यक अथवा कालोचित है तो वह अध्यक्ष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम का सुस्पष्ट पूर्व-अनुमोदन लेने के पश्चात्, कारणों को लेखबद्ध करके आदेश द्वारा किसी श्रेणी अथवा व्यक्तियों के वर्ग के लिए इन विनियमों के किसी भी उपबंध में ढील दे सकते हैं।

#### 8. अपवाद :

इन विनियमों की कोई बात आरक्षणों, आयु-सीमा में ढील और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा. इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिकों और व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के लिए उपबंध कराना अपेक्षित है।

सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और व्या सीधी भर्ती वालों के लिए परिवीक्षा की अवधि भर्ती की पद्धित—क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा प्रतेनियुक्ति अहंताएं पदोन्नित के मामले आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धितयों द्वारा में भी लागू होंगी भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता है। जिन्ता के मामले भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता है। जिन्ता के मामले भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता है। जिन्ता के मामले भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता है। जिन्ता के मामले भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता है। जिन्ता के मामले भरी वारा अथवा प्रतिनियुक्ति अभिन्ता होरा अथवा प्रतिनियुक्ति अमेलन द्वारा अथवा ठेके के माध्यम से (1948 का 16) के भाग-1 अथवा भगग-2 में अन्तर्विष्ट अर्हता । भाषा परीक्षा : अभ्यर्थी को संबंधित राज्य, जहाँ रिक्तियां अधिसूचित की गई हैं, की राजभाषा में मिडिल स्तर की अर्हता परीक्षा पास करनी होगी ।

THE GAZETITE OF INDIA: EXTRAORDINARY वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करते यदि विभागीय पदोन्नति समिति है पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलनःद्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड समय संघ लोक सेवा आयोग से जिनमें से पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति, आंमेलन किया जाएगा तो उसका गठन परामर्श किया जाना है 14 12 13 प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण ग्रप 'क' विभागीय पदोन्नति समिति लागू नहीं केन्द्रीय/राज्य सरकार सेवा/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के (स्थायीकरण पर विचारार्थ) अन्तर्गत अधिकारी : 1. चिकित्सा आयुक्त, क.रा.बी.निगम -अध्यक्ष (1) सदृश पद्धारी तथा कालमः 8 के अधीन भाषा परीक्षा के 2. उप-चिकित्सा आयुक्त, अलावा सीधी भर्ती वालों के लिए विहित शैक्षिक अईताएं तथा क.रा.बी.निगम —सदस्य अनुभव रखने वाले । ठेके के माध्यम से : 3. अपर आयुक्त (चिकित्सा प्रशासन) भाषा परीक्षा के अलावा अनिवार्य शैक्षिक अर्हक अपेक्षाएँ पूरी क.रा.बी.निगम —सदस्य करने वाले चिकित्सा अधिकारियों की एक वर्ष की अल्पकालिक नियुक्ति । टिप्पणी : इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्व केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में धारित दूसरे संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी । 2 ग्रुप 'क' गैर-6600 रुपये ग्रेड गैर-चयन केवल सीधी भर्ती लागू नहीं 2. कनिष्ठ पदों की संख्या लिपिकीय वेतन के साथ स्टाफ शल्य विनिर्दिष्ट नहीं वालों के लिए चिकित्सक की जा सकती पी.बी.-3 और (सर्जन) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में सदृश (दंत्य) पदों के लिए यथा स्वीकार्य प्रैक्टिस संबंधी 8 10 11 शैक्षिक अर्हता : सीधी भर्ती वालों लागू नहीं पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर सीधी (i) दंत्य चिकित्सक अधिनियम, 1948 के लिए दो वर्ष भर्ती द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा (1948 का 16) के भाग-1 अथवा या ठेके के माध्यम से । भाग-2 में अन्तर्विष्ट अर्हता । , (ii) दंत्य स्नातक के रूप में पंजीकरण के बाद 4 वर्ष का अनुभव । भाषा परीक्षा : अभ्यर्थी को संबंधित राज्य, जहाँ रिक्तियां अधिस्चित की

गई है, की राजभाषा में मिडिल स्तर की अर्हता परीक्षा पास करनी होगी। टिप्पणी :

अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्ति प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुभव संबंधी अर्हताएं शिथिलनीय है।

12

13

14

लागू नहीं

### पदोन्नति

ग्रेड में 4 वर्ष की नियमित सेवा वाले दंत्य शल्य चिकित्सक। \*टिप्पणी:

चिकित्सा प्रमाण-पत्र और अध्ययन प्रयोजन के अलावा अन्य कारणों से ली गई असाधारण छुट्टी को अर्हक सेवा में शामिल नहीं किया जाएगा।

## प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा :

केन्द्रीय/राज्य सरकार सेवा/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधीन अधिकारी :

(1) सदृश पदधारी हों तथा कालम 8 के अधीन भाषा परीक्षा के अलावा सीधी भर्ती वालों के लिए विहित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हों।

# ठेके के माध्यम से :

भाषा परीक्षा के अलावा अनिवार्य शैक्षिक अर्हता अपेक्षाएं पूरी करने वाले चिकित्सा अधिकारियों की एक वर्ष की अल्पकालिक नियुक्ति।

### टिप्पणी :

इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्व केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में धारित दूसरे संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अविधि सहित प्रतिनियुक्ति की अविधि 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

# ग्रुप 'क' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति और स्थायीकरण पर विचारार्थ)

चिकित्सा आयक्त.

क.रा.बी. निगम

—अध्यक्ष

2. उप चिकित्सा आयुक्त,

क.रा.बी. निगम

—सदस्य

3. अपर आयुक्त (चिकित्सा प्रशासन)

क.रा.बी. निगम

---सदस्य

डॉ. सी. एस. केदार, महानिदेशक [विज्ञापन III/4/94/10/असा.]

# EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION NOTIFICATION

New Delhi, the 14th December, 2010

- No. A. 12(11)/D/2010-Med.-IV.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 97 read with sub-section (2A) of the said section and sub-section (3) of Section 17 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in supersession of the Employees' State Insurance Corporation Recruitment Regulations, so far as they relate to the post/cadre of Dental Surgeon except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Corporation hereby makes the following regulations regulating the method of recruitment to the Dental/Cadre post namely:—
- 1. Short title and commencement.—(1) These Regulations may be called the Employees' State Insurance Corporatioon (Dental Cadre Post), Recruitment Regulations, 2008.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
  - 2. Application.—These regulations shall apply to the post specified in Column 1 of the Schedule annexed hereto.
- 3. Number of post, classification and scale of pay.—The number of the said post, their classification and scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedules annexed to these Regulations.
- 4. Method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.
- 5. Composition of Selection Board, procedure of selection etc. in respect of post for which direct recruitment is prescribed:
  - (1) Selection Board:
  - (i) The Selection Board shall consist of :---
    - (a) A part-time Chairman of the status of Secretary or Additional Secretary to the Government of India, who may be appointed by Secretary or the Director General, Employees' State Insurance Corporation, with the specific prior approval of the Chairman, Employees' State Insurance Corporation.

4812 GI/10-2

- (b) Two Medical experts from the discipline/specialized field pertaining to which recruitment is to be made, who may be chosen by the Chairman Selection Board from the panel of experts maintained for the purpose by the Director General, Employee' State Insurance Corporation.
- (c) The Medical Commissioner, Employees' State Insuance Corporation will be the departmental representative in New Delhi and in case of other States, the Senior State Medical Commissioner or State Medical Commissioner of the respective States will be departmental representatives. In case these officers are not available for some reasons, then the Director General can nominate some other officers as the departmental representative.
- (ii) The term of office of the part-time. Chairman shall ordinarily be one year from the date of constitution of the Selection Board. His term may, however, be curtailed or extended by the Director General, with the specific prior approval of the Chairman, Employees' State Insurance Corporation.
- (iii) The part-time Chairman and the Medical Experts shall be entitled to travelling allowances, sitting fees, etc. at such rates as may be fixed by the Director General from time to time, keeping in view the rates prescribed by the Government.

#### (2) Procedure and manner of Selection:

- (a) Direct recruitment to the post Dental Surgeon shall ordinarily be made at state level on the basis of a written examination followed by an interview of eligible and successful candidates.
  - In case, it becomes necessary to adopt a different mode of recruitment, the same may be adopted by the Director General after obtaining specific prior approval of the Chairman, Employees' State Insurance Corporation. However, once a mode of recruitment is notified in the advertisement, no change shall be made subsequently.
- (b) The number of candidates to be invited for interview shall be decided by the Chairman, Selection Board, keeping in view the number of vacancies and the number of applicants who satisfy the prescribed requirement.
- (c) Mere fulfillment of the prescribed rquirement of age, qualification, experience, etc. will not confer any right on the applicant to be called for interview or to any claim over the post advertised.
- (d) All work relating to issue of advertisement in respect of applications and processing of applications for submission to the Chairman, Selection Board will be handled by the office of the Director General, Employees' State Insurance Corporation.
- (e) The Selection Board will be provided necessary Secretarial assistant by the office of the Director General, Employees' State Insurance Corporation.
- 6. Disqualification.—No person,—
- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Director General may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this Regulation.

- 7. Power to relax.—Where the Director General of the Corporation is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, he may, by order, for reasons to be recorded in writing and after obtaining specific prior approval of the Chairman, Employees' State Insurance Corporation, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.
- 8. Savings.—Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

[ 4(1) ][[-	- 948 4]	<del></del>	म। 	रतकाराजपत्र	: असाधारण 	·
				SCHEDULE	;	
Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non- selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Education	cannot be specified	Group 'A', Non-Ministerial  qualifications	plus non- practicing allowances has admissibl to analogous post in the Centre Health Service.	post .  e		Not exceeding 40 years. Relaxable for employees of the Employees' State Insurance Corporation and Government Servant upto 5 years. Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescibed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobal Islands and Lakshadweep).
required f	for direct rec	ruits 	•	e of promote	t recruits will apply in	
	(8)		<u></u>	(9)		(10)
(i) A qualiof Dentists (ii) 9 years Dental Gra Language Dense a qualianguage Vacancies available Selection be candidates local lang Note: Quare relaxa Authority	s Act, 1948 (1) s experience aduate. Exert: The colifying middle of the States are notified who fulfills to board will have so who have vuage. Ealifications who is at the distorrecomme	ided in Part-I of P	art-II as a  ave to official ere the date is stions, namend ge of erience pointing Selection	applicable		One year for direct recruits.

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made

(11)

(12)

By promotion failing which by direct recruitment or by deputation/absorption or through contract.

#### Promotion

Junior Dental Surgeon with \*5 years regular service in the Grade.

\*Note: Extraordinary Leave availed for reasons other than on Medical Certificate and for Study purpose, shall be excluded from the qualifying service.

### Transfer on deputation:

Officers under the Central/State Government service/Public Sector undertaking:

(i) Holding analogous posts and possessing the educational qualifications and experience prescribed under column No. 8 except language test.

#### Through Contract:

Short-term appointment for one year of Medical Officers who fulfills essential educational qualification requirement except the language test.

**Note:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall not exceed five years.

	rtmental Proi	motion Committee on		Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment  (14)  Not applicable			
		(13)					
Group'	A' Departme	ntal Promotion Co					
and conf	irmation) :-	<del>-</del>					
	lical Commis poration	ssioner Employees	Chairman				
•	uty Medical ( rance Corpo	Commissioner Em ration	Member	·			
		nissioner (Medical e Insurance Corpo		on)	—Member	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u></u> .
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
2. Staff Surgeon (Dental) (NFSG)	Number of posts cannot be specified	Group 'A', Non-Ministerial	Pay Band-4+ Rs. 8700 plus non- practicing allowance at the rate prescribed by Govt. of India from time to time.	Non- selection post	Not applical	ole Not applicable	

Dr. C. S. KEDAR, Director General [ADVT1II/4/94/10-Exty.]